



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082025-265678
CG-DL-E-25082025-265678

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3763]
No. 3763]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2025/भाद्र 3, 1947
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2025/BHADRA 3, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
शुद्धिपत्र
नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2025

का.आ. 3868(अ).— भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की दिनांक 18 जुलाई, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3317(अ), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), अंक संख्या 3244 में दिनांक 18 जुलाई, 2025 को प्रकाशित किया गया था, में दिनांक 25 जुलाई 2025 के का. आ. 3410(अ) से जारी शुद्धिपत्र का अधिक्रमण करते हुए "94. संस्कारम महाविद्यालय" के लिए, की तालिका के स्तंभ (1) के अंतर्गत प्रविष्टि में, "94. संस्कारम महाविद्यालय को संस्कारम विश्वविद्यालय" पढ़ा जाए।

[फा. सं. के-12052-9/27/2021-डीएडीएफ-एलएच]

रामा शंकर सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 19th August, 2025

S.O. 3868(E).— In supersession of the Corrigendum issued vide S.O. 3410(E) dated the 25th July, 2025 in the notification of the Government of India, in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Number S.O. 3317(E), dated the 18th July, 2025 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 18th July, 2025 issue No. 3244, in the entry under column (1) of the table, for “94. Sanskaram College”, read “94. Sanskaram University in respect of Sanskaram College”.

[F. No. K-12052-9/27/2021-DADF-LH]

RAMA SHANKAR SINHA, Addl. Secy.